

कार्यपालक अभियन्ता का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल खड़गपुर-तारापुर

पत्रांक :- 2311(अनु०)/तारापुर
प्रेषक,

दिनांक:- 04/12/2024

कार्यपालक अभियन्ता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, खड़गपुर-तारापुर।

सेवा में,

अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी-सह-सचिव,
बिहार ग्रामीण पथ विकास अभिकरण (ब्राडा), पटना।

विषय :- **State Scheme (NABARD) अंतर्गत Construction of RCC bridge over Barua River near Laudiya Kanwariya path in Silauta Village** पुल के अनुरक्षण कार्य के भुगतान हेतु अधियाचना के संबंध में।

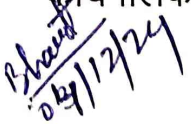
महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि **State Scheme (NABARD) अंतर्गत Construction of RCC bridge over Barua River near Laudiya Kanwariya path in Silauta Village** पुल के अनुरक्षण कार्य के भुगतान हेतु अधियाचना विहित प्रपत्र में संलग्न विवरणी के अनुसार रू०- **0.43664** लाख की आवश्यकता है।

अतः श्रीमान से अनुरोध है कि पुल अनुरक्षण कार्य के भुगतान हेतु अधियाचना उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

अनु०-यथोक्त।

विश्वासभाजन


04/12/24
कार्यपालक अभियन्ता,

04/12/24

राज्य योजना (नाबार्ड) अंतर्गत पुल में पंचवर्षीय अनुरक्षण प्रपत्र

क्र.सं.	कार्य प्रगति का नाम	योजना का नाम	एक सप्ताह के अनुसार प्राक्कानित राशि वर्षवार						कुल राशि (लाख में)	वर्ष की राशि वर्षवार						कुल राशि (लाख में)	कुल अग्रिम राशि (लाख में)								
			(प्र. सं.)	(प्र. सं.)	(प्र. सं.)	(प्र. सं.)	(प्र. सं.)	(प्र. सं.)		(प्र. सं.)	(प्र. सं.)	(प्र. सं.)	(प्र. सं.)	(प्र. सं.)	(प्र. सं.)			(प्र. सं.)	(प्र. सं.)	(प्र. सं.)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	25
1	Kharagpur-Tarapur	Construction of RCC bridge over Barua River near Laudia Kanwariya path in Silauta Village	0.27864	0.22874	0.45880	0.51910	0.65713	2.14241	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	768.80 Lacs Lt. No. 3275 dt. 10.09.2020	5,79000	Lt. No. 3275 dt. 10.09.2020	18.10.2022	0.24205	✓ 0.19459	✓ 0.00000	0.00000	0.00000	0.43664	0.43664

कार्य विधियों के अनुरूप कार्य कर लिया गया है।

1. कार्य विभाष्टियाँ के अनुरूप कार्य पूरा कर रिपोर्ट करना है।

2 पथ में MQMU/PQM/IE से संबंधित कोई सुधार प्रतिवेदन लंबित नहीं है।

अनुमोदित परिमाण विपन्न की कुल राशि प्रशासनिक स्वीकृति की राशि से 20% सीमा के भीतर हो साथ ही 2 करोड़ रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।

०५/१२/२४
कार्यालयक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रणाली खण्डाङ्क-तारापुर

04/12/24

EXECUTIVE ENGINEER, RURAL WORKS DEPARTMENT, WORKS DIVISION,
Munger

FROM GFR 19 - A

(See Government of India's Decision (I) below Rule - 150)
Form of Utilisation Certificate upto the month of DEC- 2024

Name of the Head :- NABARD Maint. Fund

Month:- December 2024

Sl. No.	Name of Bridge	Sanctioned No./ Date	Amount Received (in Lacs Rs.)	Particulars
1	2	4	5	6
1	Construction of RCC bridge over Barua River near Laudiya Kanwariya path in Silauta Village	768.80 Lacs Lt. No. 3275 dt. 10.09.2020	0.00000	Certified that out of Rs.0.00 Lacs received during the Maintenance of this road favour of Executive Engineer R.W.D. Works Division, Kharagpur-Tarapur, Bihar a sum of Rs 0.000 Lacs has been utilized for the purpose of NABARD Maint. Schemes as given in the margin for which it was sanctioned and that the balance of Rs 0.00000 Lacs remaining un- utilized at the end of the period under.
	Total -		0.00000	

- 2 Certified that I have satisfied myself that the conditions on which the grants-in-aid was sanctioned have been duly fulfilled/are being fulfilled and that I have exercised the following checks to see that the money was actually utilized for the purpose for which it was Sanctioned.

Kind of Checks Exercised :-

- Works have been supervised by Executive Engineer/Superintending Engineer.
- Periodical inspection has been conducted by Executive Engineer/Superintending Engineer.
- Construction materials have been tested.
- Measurements have been recorded in the MBs and test checks conducted by the Assistant Engineer/Executive Engineer.
- All other codal formalities have been observed.

3 **Physical Progress achieved :-**

- Construction of Road Works.
- Construction of CD. Works.


07/12/24
Divisional Account Officer

RWD Works Division Kharagpur - Tarapur


07/12/24
Executive Engineer

RWD Works Division, Kharagpur-Tarapur

**बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग**

संख्या- मु० अ०-४ (मु०) रा० यो०-०३-१६६/२०२० - ३६७५

/पटना, दिनांक-१०/९/२०२०

सेवा

सत्यम दूधे भूत भू से
अपर सचिव।

सेवा में

महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी)
बिहार, पटना।

विषय - योजना शीर्ष ४५१५-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय-१०३-ग्राम विकास-राज्य योजना-०१०५-ग्राम विकास की परियोजनाएं (नाबार्ड सम्पोषित योजना) उपशीर्ष के अन्तर्गत राज्य के मुंगेर जिलान्तर्गत कार्य प्रमंडल, खड़गपुर-तारापुर के अधीन संग्रामपुर प्रखंड के लौडिया कौवरिया पथ से सिलौटा गोंव के निकट बड़वा नदी में उच्च स्तरीय आर० सी० सी० पुल का निर्माण कार्य जिसकी लम्बाई १३४.१६ मी० (६x२१.७५ मी०) निर्माण कार्य की राशि रु० ७६३.०१ लाख, एवं अनुरक्षण की राशि ५.७९ लाख अर्थात् कुल राशि रु० कुल राशि रु० ७६८.८० लाख (सात करोड़ अड़सठ लाख अस्सी हजार रुपये) मात्र की लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

संदर्भ

निम्नानुसार योजना शीर्ष ४५१५-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय- १०३-ग्राम विकास-राज्य योजना-उप शीर्ष-०१०५-ग्राम विकास की परियोजनाएं (नाबार्ड सम्पोषित योजना) उप शीर्ष के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष २०१७-१८ में बिहार राज्य के मुंगेर जिलान्तर्गत कार्य प्रमंडल, खड़गपुर-तारापुर के अधीन संग्रामपुर प्रखंड के लौडिया कौवरिया पथ से सिलौटा गोंव के निकट बड़वा नदी में उच्च स्तरीय आर० सी० सी० पुल का निर्माण कार्य जिसकी लम्बाई १३४.१६ मी० (६x२१.७५ मी०) निर्माण कार्य की राशि रु० ७६३.०१ लाख, एवं अनुरक्षण की राशि ५.७९ लाख अर्थात् कुल राशि रु० कुल राशि रु० ७६८.८० लाख (सात करोड़ अड़सठ लाख अस्सी हजार रुपये) मात्र की राशि पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान किया जाता है।

- इस योजना को वित्तीय वर्ष २०२०-२१ एवं २०२१-२२ में पूरा किये जाने का लक्ष्य है।
- कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, खड़गपुर-तारापुर संबंधित योजना के कार्य सम्पन्न हो निकाली एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे। कार्य निविदा के माध्यम से कराया जाएगा।
- योजना के क्रियान्वयन से पूर्व इस पर सक्षम पदाधिकारी से प्राथमिक स्वीकृति प्राप्त कर ली जाएगी।
- इस योजना का व्यय योजना शीर्ष ४५१५-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय-१०३-ग्राम विकास-राज्य योजना-०१०५-ग्राम विकास की परियोजनाएं (नाबार्ड सम्पोषित योजना)-उपशीर्ष जिसका विपत्र कोड- ३७-४५१५००१०३०१०५ है, के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष २०२०-२१ में उपवर्धित राशि से विकलनीय होगा।
- योजना शीर्ष ४५१५-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय-१०३-ग्राम विकास-राज्य योजना-०१०५-ग्राम विकास की परियोजनाएं उपशीर्ष के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष २०२०-२१ में ३००.०० करोड़ रुपये का वज्र उपव्यय स्वीकृत है।
- कार्यपालक अभियंता द्वारा योजनाओं का वित्तीय एवं भौतिक प्रतिवेदन पत्रों के माह के ०५ तक या उससे पूर्व ऑन लाइन प्रविष्टि कराते हुए अधीक्षण अभियंता, कार्य अंचल, मुंगेर एवं मुख्य अभियंता-२ के माध्यम से विभाग को उपलब्ध करायेगे।
- कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, खड़गपुर-तारापुर सुनिश्चित करेंगे कि यह योजना किसी अन्य योजना शीर्ष अंतर्गत स्वीकृत नहीं है।
- इस योजना का व्यय माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा सचिका रा०- मु० अ०-४ (मु०) रा० यो०-०३-१६६/२०२० के पृ० रा०-०२/१० पर दिनांक ०२.०९.२०२० को किया गया।
- निर्माण्य स्थायी पत्र समिति द्वारा सचिका संख्या- रा०- मु० अ०-४ (मु०) रा० यो०-०३-१६६/२०२० के पृ० रा०-०५-०६/१० पर दिनांक ०४.०९.२०२० को इस योजना की स्वीकृति प्राप्त है।

१०/९/२०२०

10. इस योजना की स्वीकृति सक्षम प्राधिकार माननीय विभागीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा संचिका संख्या-मु0 अ0-4 (मु0) रा0 यो0-03-166/2020 के पृष्ठ 05/टि0 पर दिनांक 08.09.2020 को प्राप्त है।
11. बांडा के निर्धारित प्रावधान/प्रक्रिया के आलोक में बजट प्रावधान के अंतर्गत राशि की निकासी की जायेगी।
12. कार्यपालक अभियंता (PAU) का उत्तरदायित्व होगा कि कार्यों का विशिष्टताओं/प्रविष्टि के अनुरूप कार्यान्वित करा कर एकरारनामा एवं सुसंगत वित्तीय प्रावधानों के पालन उपरान्त पूर्णतः संतुष्ट होकर ही राशि की निकासी एवं व्ययन करेंगे।
13. वित्त विभाग के संकल्प संख्या-3758 दिनांक 31.05.2017 में निहित निदेशों का अक्षरशः पालन किया जायेगा तथा बिहार वित्त नियमावली के सुसंगत प्रावधानों के आलोक में उपबंधित राशि की उपलब्धता के आधार पर व्यय की जायेगी।
14. यह आदेश आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त कर निर्गत किया जा रहा है। आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका सं0-मु0 अ0-4 (मु0) रा0 यो0-03-166/2020 के पृ0 सं0- 8 / टि0 पर दिनांक 9.9.2020 को प्राप्त है।
15. यह राशि उसी मद में खर्च की जायेगी, जिसके लिए पुनर्विनियोजित की गयी है, अन्य मद में नहीं।
16. प्राक्सलन की विशिष्टताओं के अनुसार निर्धारित समयावधि के अंदर कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जायेगा।
17. योजना के कार्यान्वयन के कम में इनका निर्धारित निरीक्षण सरकार से निर्गत आदेशों में प्रावधानित सक्षम नियंत्री पदाधिकारियों द्वारा नियमित अंतराल पर अनिवार्य रूप से किया जायेगा एवं कार्यों को ससमय तथा गुणवत्तापूर्वक संपन्न कराना सुनिश्चित कराया जायेगा। योजना के कार्यान्वयन में अनियमितता की स्थिति में दोषी पदाधिकारी उत्तरदायी माने जायेंगे।
18. वित्त विभाग के पत्रांक-770, दिनांक 20.09.11 के द्वारा सूचित किया गया है कि RIDF के अन्तर्गत नई परियोजनाओं की प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त ही स्वीकृति हेतु नावाड को भेजी जाये।

विश्वासभाजन

[Signature]

(संजय दूवे)

अपर सचिव

डापांक- मु0 अ0-4 (मु0) रा0 यो0-03-166/2020 - 3275

/पटना, दिनांक- 10/9/2020

प्रतिलिपि- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

[Signature]

अपर सचिव

डापांक- मु0 अ0-4 (मु0) रा0 यो0-03-166/2020 - 3275

/पटना, दिनांक- 10/9/2020

प्रतिलिपि- कोषागार पदाधिकारी, निर्माण भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

[Signature]

अपर सचिव

डापांक- मु0 अ0-4 (मु0) रा0 यो0-03-166/2020 - 3275

/पटना, दिनांक- 10/9/2020

प्रतिलिपि- माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (आय-व्यय शाखा)/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, ग्रामीण कार्य विभाग/मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग/कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग/प्रमंडलीय आयुक्त, मुंगेर/जिला पदाधिकारी, मुंगेर/उप विकास, आयुक्त मुंगेर/अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग/सचिव सह इम्पावर्ड ऑफिसर बांडा/मुख्य अभियंता-2, पटना ग्रा0 का0 वि0/मु0 अ0-4 (मुख्यालय) ग्रा0 का0 वि0/अधीक्षण अभियंता, ग्रा0 का0 वि0, कार्य अंचल, मुंगेर/कार्यपालक अभियंता, ग्रा0 का0 वि0/अधीक्षण खडगपुर-तारापुर/मुख्य महाप्रबंधक, नावाड, बिहार क्षेत्रीय कार्यालय (गौरा कम्पलेक्स पंचवी मंजिल) डाक गंगला रोड, पटना, आई0 टी0 मैनेजर, ग्रा0 का0 वि0 को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

[Signature]

अपर सचिव